कार्यालय :– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव (छ0ग0)
फोन नं0–07786–243186, फैक्स नं0–07786–243183, ई–मेल– kondagaon.court@gov.in

// आदेश //

क्रमांक 27 /दो–12–10/2014, कोण्डागांव, दिनांक–30.10.2015

इस आदेश के द्वारा सिविल जिला स्थापना, कोण्डागांव में स्टेनोग्राफर हिंदी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित चयन परीक्षा में प्राप्तांकों के योग के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सिविल जिला स्थापना, कोण्डागांव में स्टेनोग्राफर हिंदी के रिक्त पदों वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800/– पर अस्थायी रूप से 02 (दो) वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये निम्न शर्तो पर नियुक्ति की जाती है :–

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पता एवं विवरण
01	श्री अभिषेक तिवारी पिता स्व0 चन्द्रशेखर तिवारी, पता– कस्तुरबा कन्या आश्रम के सामने नेगीगुड़ा धरमपुरा नं0 3 जगदलपुर छ0ग0
02	सुश्री कुसुम ध्रुव पिता स्व0 श्री संतलाल ध्रुव, पता– ब्लाक कालोनी बकावण्ड पोस्ट व तहसील बकावण्ड जिला बस्तर छ0ग0
03	श्रीमती अनुराधा चन्द्राकर पति श्री सचिन चन्द्राकर, पता– मार्फत– दुखितराम साहू बाजारपारा डिपो रोड कांजीहाउस के पास बखरूपारा नारायणपुर छ0ग0
04	सुश्री मानकदई सोढ़ी पिता श्री लखमूराम सोढ़ी,पता– बंधापारा कोंडागांव छ0ग0
05	सुश्री मोनिका नेताम पिता श्री दशरथ राम नेताम, पता– ग्राम व पोस्ट फरसगांव गांधी चौक तहसील फरसगांव जिला कोंडागांव छ0ग0
06	सुश्री निर्मला मरकाम पिता श्री जेठूराम मरकाम, पता– राजीव गांधी कम्प्यूटर साक्षरता मिशन बाजारपारा रोड फरसगांव जिला कोंडागांव छ0ग0

शर्तेः–

1. जो चयनित अभ्यर्थी शासकीय सेवा में पूर्व से कार्यरत हैं, वे अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर कार्यभार ग्रहण करते समय इस विभाग में आवश्यक रुप से प्रस्तुत करें।

2. चयनित अभ्यर्थी दिनांक 16.11.2015 तक आवश्यक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण करेगें। उक्त अवधि तक अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर यह माना जावेगा कि वे इस पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं है तथा उक्त दशा में उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी तथा उक्त पद पर नियमानुसार प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी की नियुक्ति की जावेगी।

3. सामान्य प्रवर्ग के चयनित उम्मीदवार शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा आरक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवार उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त जाति प्रमाण–पत्र की स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित प्रति मय मूल प्रति एवं सेवा पुस्तिका कार्य ग्रहण के समय साथ लेकर आयेगें।
4. आरक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवारों का जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित न हो तो, कार्यभार ग्रहण करने के दो माह के भीतर उच्च स्तरीय छानबीन समिति से जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कराकर जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति मय मूल प्रमाण पत्र कार्यालय में आवश्यक रूप से पेश करेंगे।
5- चयनित उम्मीदवारों को कार्य पर उपस्थिति के समय जिला प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से तथा महिला अभ्यर्थी के मामले में महिला चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण करा कर इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह शासकीय सेवा या पद के कर्तव्य पालन में बाधा डालने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त है। यदि वह स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
6. चरित्र सत्यापन में यदि सेवा के लिये अनुपयुक्त पाया गया तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
7. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन व भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।
8. सेवा के प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन के लिये अनुमति नही दी जावेगी, आगे नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा, अन्यत्र नौकरी हेतु भी नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति आवश्यक होगी।
9. शैक्षणिक अथवा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर अथवा अन्य किसी युक्तियुक्त कारणों से नियुक्ति निरस्त करने योग्य पाये जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी, साथ ही ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की जावेगी।
10. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय छ0ग0 सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 के अनुसार अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

11. सभी चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 16.11.2015 तक अनिवार्य रुप से जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव के कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत सभी चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित समयावधि तक जिला मुख्यालय में विभिन्न अनुभागो एवं न्यायालयों में लिपिकीय कार्यो का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करना होगा। इसके पश्चात् सिविल जिला कोण्डागांव के जिला मुख्यालय अथवा बाह्य न्यायालयों में कहीं भी पदस्थापना की जावेगी तब ऐसे पदस्थापना स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि उनके द्वारा स्थानांतरण के पश्चात नवीन पदस्थापना स्थल पर एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण नही किया जावेगा तो उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

(विनय कुमार कश्यप)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोण्डागांव (छ.ग.)

पृष्ठां0 क्रमांक 795 / दो–12–10 / 2014, कोण्डागांव, दिनांक–30.10.2015

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, माननीय श्री न्यायमूर्ति सी0बी0 बाजपयी, न्यायाधिपति, छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर एवं पोर्ट फोलियो जज़, सिविल जिला कोण्डागांव के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, वे चयनित अभ्यर्थियों के उपस्थित होने पर उनका स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज का सत्यापन कर उनकी सेवा पुस्तिका का संधारण करावे।
4. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, कोण्डागांव की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् उनके बैठने हेतु आवश्यक व्यवस्था करावें।
5. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, वे चयनित अभ्यर्थियों से कार्य पर उपस्थित होने पर आवश्यक दस्तावेजों का मिलान करने लेखापाल को निर्देशित करें तथा उन्हें अनुभागों एवं न्यायालयों के कार्यो का संक्षिप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करे।

6- प्रस्तुतकार, न्यायालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

7- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) रायपुर की ओर प्रेषित।

8- संयुक्त संचालक, कोष लेखा पेंशन, जगदलपुर की ओर प्रेषित।

9- जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय कोण्डागांव की ओर प्रेषित।

10. लेखापाल/वेतन देयक लिपिक की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, वे चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् आवश्यक सेवा अभिलेख एवं वेतन आहरण हेतु अन्य आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करावें।

11. सभी चयनित अभ्यर्थियों को आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

(विनय कुमार कश्यप)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोण्डागांव (छ.ग.)